

आज वर्षा वाणी

औरंगाबाद, आरा एवं रांची से प्रकाशित

देश

मेरी आंखों में आंसू थे, पंत को लेकर दिग्गज खिलाड़ी ने किया बड़ा खुलासा

लोकसभा रिजल्ट आते ही अजित पवार के बदले बोल! चाचा शरद पवार की तारीफ

शुक्ल पक्ष, मघा, विक्रम संवत् 2081

• औरंगाबाद • बुधवार • 12 जून 2024 • वर्ष 26 • अंक 182 • पृष्ठ 12

मूल्य ₹ 2.00

सोना चांदी

सोना 10 ग्राम 24 कैरेट

चांदी 1 किलो चांदी

₹ 71,840 ₹ 90,500

आज का इतिहास

- 2008 : दक्षिणी एशियाई फुटबल महासंघ वर्ष 2009 हेतु छठी श्रेणी फुटबल चैम्पियनशिप की मेजबानी सौंपी।
- 1994 : दुनिया के सबसे बड़े टिवनजेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान मारी।

न्यूज बाइट्स

बीएसईबी के बाहर नरिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

पटना (नि.सं.)। बिहार बोर्ड कार्यालय (बीएसईबी) के पास सैकड़ों की संख्या में नरिंग अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। लेकिन, इसे बिना नोटिस दिए कैंसिल कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह में पटना पहुंचे। इसके बाद पता चला कि इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 4 जून को नोटिस जारी करते हुए आउटसोर्सिंग के आधार पर डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टॉफ की सेवा प्राप्त करने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी। इसमें साक्षात्कार की तिथि 11.06.2024 निर्धारित की गयी थी।

फाइनेंस कर्मी से दिनदहाड़े 8 लाख रुपए की लूट

सहस्सा (नि.सं.)। सहस्सा में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी पर चक्रू से हमला कर दिया और 8 लाख 63 हजार रुपया लूट कर फरार हो गए। इस हमले में फाइनेंस कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां चायल का इलाज जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मत्स्यगांधा के पास की है। घटना को लेकर घायल फाइनेंस कर्मी राजनंदन कुमार ने बताया कि वह फाइनेंस कंपनी में काम करता है। इनका काम लोन देना और कलेक्शन करना है। वह आज अपने घर पहुंचा तूलसियाही से कलेक्शन का पैसा बैग में रखकर आ रहा था।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिलों को दिया आदेश

लें ट्रेनिंग, नहीं तो रुकेगी वेतन वृद्धि

निज संवाददाता | पटना

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लेंगे, उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से सेवकालीन आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसका संचालन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सरकारी अध्यक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, पटना बिपार्ड एवं गया बिपार्ड में किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव



प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

राज्य के सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण तीन जुलाई 2023 से संचालित है। इसमें लगभग छह लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण हासिल किया है। इसके बाद भी कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अभी तक इस आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है।

डॉ एस सिद्धार्थ ने एक आदेश पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, समग्र

अब तक छह लाख शिक्षकों ने ली ट्रेनिंग

प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन जुलाई से लगातार चलाया जा रहा है। अब तक छह लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं, जिन्होंने अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि तीन जुलाई से अब तक प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर 30 जून तक अनिवार्य रूप से उनका प्रशिक्षण कराएं। हालांकि, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद संबंधित शिक्षकों को निर्धारित तिथि वेतन वृद्धि का लाभ पुनः देर होगा।

एवं स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दो दृक आदेश दिया है कि जो शिक्षक ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। डॉ। एस सिद्धार्थ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने 3 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें चिह्नित कर उनका प्रशिक्षण 30 जून तक पूरा करा लिया जाए। अन्यथा ऐसे सभी शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह रोक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि से पुनः लागू होगी।

इस वर्ष 11 हजार से अधिक दुधारू पशुओं का होगा बीमा

निज संवाददाता | पटना

राज्य के दुधारू पशुओं (गाय और भैंस) का बीमा होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 हजार 100 दुधारू पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। पशु मत्स्य संसाधन विभाग की इस योजना की स्वीकृति इस माह के अंत तक मिल जाएगी। जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना के प्रीमियम का 25 प्रतिशत यानी 525 रुपए प्रति दुधारू पशु, पशुपालकों को देना है। सरकार 75 प्रतिशत यानी 1575 रुपए की राशि देगी। एक पशुपालक अधिकतम 4 पशुओं का बीमा करा सकते हैं। लम्पी त्वचा रोग, एचएसबीव्यू सहित अन्य बीमारी, दुधघटना, बाढ़ सहित आपदा और अन्य कारण से पशु की मौत पर पशुपालक को 60 हजार रुपए की राशि मिलेगी। बीमा कंपनी की ओर से एक वर्ष के लिए बीमा का प्रावधान है। बीमा कंपनी की ओर से दुधारू पशु में डाटा इश्यर टैग लगाया



जाएगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभुक की होगी। योजना के तहत दुध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जैसे दुधारू मवेशियों का बीमा होगा, जो स्वस्थ हो और पशु चिकित्सक की ओर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। पिछले एक दशक बाद 2023-24 में यह योजना शुरू हुई थी। योजना देर से शुरू होने और पशुपालकों को जानकारी के अभाव में बेहद कम पशुओं को बीमा हो सका था। इस साल 11 हजार 100 दुधारू पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। पशुपालकों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है। 2019 की पशुपुण्डा के अनुसार बिहार में 1 करोड़ 53 लाख 97 हजार 980 गाय हैं।

जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सुविधाओं का होगा विस्तार

निज संवाददाता | पटना

ऑनलाइन डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए पोर्टल परिमार्जन प्लस में जल्द ही कई नई सुविधाएं जुड़ेंगी। फिलहाल इस पोर्टल पर पुरानी ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार का विकल्प दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉ. दिलिप कुमार जायसवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में जमाबंदी की सभी त्रुटियां इस पोर्टल के माध्यम से सुधारी जाएंगी। ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन के बाद कायम की गई जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार होगा। किसी मौजा की जमाबंदी अगर दूसरे मौजे में दर्ज हो गई है तो उसका भी सुधार हो जाएगा। दो या दो से अधिक मौजे का जमाबंदी एक ही मौजा में कायम है तो उसमें भी ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मूल जमाबंदी पंजी में जमाबंदी कायम है, लेकिन उसका डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है या मूल जमाबंदी पंजी में ही जमाबंदी कायम नहीं है तो उसका निदान भी परिमार्जन प्लस पोर्टल पर किया जाएगा। डॉ. जायसवाल



ने बताया कि पुरानी जमाबंदियां जो आनलाइन हो चुकी हैं, उसमें कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही हैं। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम, पिता के नाम, जाति और पता में भी त्रुटि की शिकायत मिल रही है। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा का विवरण दर्ज करने में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। इन सभी त्रुटियों को सुधारने के लक्ष्य के साथ नया पोर्टल शुरू किया गया है। रैयत सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे। समय-सीमा के भीतर सुधार कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा अंकित है, ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं।

नीटपेपर विवाद : काउंसिलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

छांसी | नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच घंटे की आयोजित राष्ट्रीय पायता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 में कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सार्वजनिक (पेपर लीक) होने संबंधी गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप

वाली याचिकाओं के मद्देनजर दाखिल से संबंधित काउंसिलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले में की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ

ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर कहा कि कई सवाल उठाए गए हैं। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से जवाब मांगते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।



अब पंचायतों में मिलेंगी कई ऑनलाइन सुविधाएं

निज संवाददाता | पटना

प्रदेश के सहकारिता, वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैकस अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए

प्रशिक्षण की आवश्यकता भी जरूरी है। इसके माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते बताया कि किसानों को न्यूनतम समय में मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीदारी की जा रही है। इसके

कारण किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल रहा है। बोधगया में माधु प्रमंडल स्तरीय सहकारिता विभाग के कार्यशाला को सोमवार संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले के पैकस अध्यक्ष व प्रबंधक शामिल हुए। मंत्री

ने कहा कि पैकस में कंप्यूटीकरण के माध्यम से उनके कार्यों में सुगमता एवं पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की गई है। इसमें बिहार में 4477 पैकस का कंप्यूटीकरण किया जा रहा है। इसके माध्यम से पैकसकर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ेगी।



बिहार सरकार

संदेश

मुख्यमंत्री बिहार

बाल श्रम एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। यह न केवल देश की प्रगति में बाधक है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। राज्य सरकार इस जटिल समस्या को समाप्त करने एवं बाल श्रम से विमुक्त कराये गये बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसी संकल्प को और मजबूत करने के लिए हर वर्ष 12 जून को "विश्व बाल श्रम निषेध दिवस" मनाया जाता है।

विभिन्न नियोजनों/प्रतिष्ठानों में बाल श्रम की सतत निगरानी हेतु जिला स्तरीय धावा दल का गठन किया गया है। बाल श्रम से विमुक्त किये गये बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं तथा उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान भी दिया जाता है। बिहार को बाल श्रम से मुक्त बनाना राज्य सरकार का संकल्प है और हम इस दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। ऐसे पुनीत कार्य समाज के सभी वर्गों की साझेदारी एवं सहयोग के बिना संभव नहीं है।

"विश्व बाल श्रम निषेध दिवस" के अवसर पर हम समाज के सभी वर्गों यथा जन-प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आम नागरिकों, श्रमिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने में सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आइये, हम सब मिलकर बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लें।

(नीतीश कुमार)

PR No. - 001715 (LRD)D. 2024-25

PR No. - 001717 (LRD)D. 2024-25

(सम्राट चौधरी)

उप मुख्यमंत्री, बिहार

